इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2022—वैशाख 22, शक 1944

औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 1 (1)-02-2022-बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 12 मई 2022

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद, द्वारा मध्यप्रदेश राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती (विनियमन तथा पद्धति) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

ाउक्त निय**मों** में,-

1. नियम-2 (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोडा जाए, अर्थात:-

"2 (ङ): परिवीक्षा : सेवा में सीघे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्षों की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । परिवीक्षा कालाविध के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क. सी. 3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के अनुसार वृत्तिका देय होगी ।"

2. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात:—

अनुसूची-एक (नियम 3 देखिए)

	1 1 1 0 0		(। नवन उ पाखर)	
अनु—	सेवा में सिम्मलित	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान
कमांक	पदो के नाम	संख्या		
11	2	3	4	5
1	भृत्य	14	चतुर्थश्रेणी	मेट्क्स — 1
				₹50 15500—49000

अनुसूची-दो (नियम 3 देखिए)

विभाग का	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों		पदों की संख्या की प्र	तिशतता	अभ्युक्ति
नाम		की कुल संख्या	सीघी भर्ती द्वारा (नियम 3 देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 3 देखिए)	अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा (नियम 3 देखिए)	
1	2	3	4	5	6	7
औद्योगिक, नीति एवं	भृत्य	14	100 प्रतिशत	- VP	-	
निवेश प्रोत्साहन विमाग, मध्यप्रदेश				3		

अनुसूची-तीन (नियम 3 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आय एवं अर्हता

विमाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अमियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
औद्योगिक, नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्यप्रदेश	भृत्य	18 বর্ष	40 वर्ष	संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	

अनुसूची—चार (नियम 3 देखिए)

विमाग का		(नियम 3 देखिए)									
नाम	उस पद का नाम जिससे	उस पद का नाम जिसपर पदोन्नति	अगर्ल उच्च पद पर पदोन्नति हेत्	चयन के लिए प्रकिया	अभियुक्ति	विमागीय					
L.	ाजसस पदोन्नति की जानी	की जानी है	पदान्नात हतु फीडर पद पर न्यूनतम सेवा			पदोन्नति समिति के					
Y TOK	g.		6		The last	सदस्यों के नाम					
1	2	3	4	5	6	7					
औंचोगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विमाग, मध्यप्रदेश	मृत्य	सहायक ग्रेड-तीन	10 वर्ष	जेष्ठता सह–योग्वता	1. सहायक प्रेड—3 के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जाएं ने जिन्हों ने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकण्डरी परीक्षा अथवा 12वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ती हो, और 2. 20 शब्द प्रति मिनिट की गति से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विमाग द्वारा संचातित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) प्रमाणपत्र (स्कोर कार्ड) उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. निम्नितिकत मान्यता प्राप्त संस्थाओं मे से किसी भी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा आवश्यक रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए — (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्तोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्तोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (आ किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्तोमा स्तर की कम्प्यूटर परीक्षा (या) किसी शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्जन आफिस मैनेजमेंट तथा सचिवालयीन कार्य पाठ्यकम । 4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विमाग के परिपत्र दिनांक 12.06.2009 के अनुसार, तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें असफल रहने पर, उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के कम्प्यूरर रारीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें असफल रहने पर, उनके मूल चतुर्थ श्रेणी के कम्प्यूर कार्य से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उक्त शर्त से सुट प्राप्त होगी ।	1. संचालक बायलर —अध्यक्ष 2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का ए प्रतिनिधि — सदस्य 3. उप संचालक बायलर या निरीक्षक बायलर गेड—एक या गेड—दो —सदस्य सचिव					

F No. F-1 (1) 0w-2022-B-Eleven

Bhopal, the 12th May 2022

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Mahya Pradesh State Boilers Inspectorate Service class IV (Regulation and Procedure) Recruitment Rules, 1977, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- 1. After rule 2(d) the following rule shall be added, namely :-
 - "2 (e) Probation: Every person directly recruited to the service shall be appointed on Probation for a period of three years. During Probation periods stipend shall be paid in accordance with the General Administration Departments Memo no. C 3-13/2019/3/One Dated 12.12.2019."
- 2. For the existing Schedule I,II,III and IV the following Schedules shall be substituted, namely:"SCHEDULE I

(See Rule- 3)

S.No.	Names of the posts included in the service	Number of Post	Classification	Pay Scale
1	2	3	4	5
1	Peon	14	Class-IV	Metrix-1 Rs.1550049000

SCHEDULE - II
(See Rule- 3)

				(uic o)		
Name of the Department	Name of Service	Total Number of duty posts	Percentage of filled in	Remark		
F.			By Direct Recruitment [See Rule- 3]	By Promotion of the members of service [See Rule-3]	By transfer of person from other service [See Rule-3]	7 2
	2	3	4	5	6	7
Industrial Policy and Investment Promotion Department Madhya Pradesh	Peon	14	100%	•	.	A N

SCHEDULE – III (See Rule-3) AGE AND QUALIFICATION FOR DIRECT RECRUITMENT

Name of the Department	Name of post	Minim um Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
1	2	3	4	5	6
Industrial Policy and Investment Promotion Department Madhya Pradesh	Peon	18 Years	40 Years	Must have passed 8 th class from the Divisinal Pre middle Examination or from any institution recognized by the Government of Madhya Pradesh	

SCHEDULE-IV (See Rule –3)

Department	post from which promotion is to be made	post to which promotion is to be made.	Minimum Service on the feeder post for promotion on next higher post	Procedure for Selection	Remark	of the Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5	6	7
Industrial	Peon	Assistant Gr-III	10 Years	Seniorty -cum	1. 25 percent Posts of Assistant Gr-	1. Director of
Policy and				merit	III will be filled in by those Class-	Boilers
Investment			-		IV employees who have passed the	- Chairman
Promotion				- 8	Higher Secondary Or 12th (10+2)	2
Department	191		1		Examination from Madhya Pradesh	2- One
Madhya	5 3 7				Board of Secondary Education or of	Representative
Pradesh	0 T N K				any Institution recognized by the	of Scheduled
100			ĺ	1	Government of Madhya Pradesh	Caste/
100	11.5				and have completed regular service	Scheduled Tribe
T STATE					for at least ten years, and	- Member
537 7					2. Must have passed the	
7 3 5			8.0		Examination certificate proficiency	3- Dy. Director of
					certification test (C.P.C.T.)	Boilers or Inspecto
17 27 97					conducted by Science and	of Boilers Gr-I or
	180		100		Technology department with a	Gr-II -Member
4					speed of 20 words per minute.	1
BEST OF					Certificate (score card).	Secretary
53 53					3. Must have essentially passed	
0.0	, ii				Computer Examination from any	2 DO L
100	100		- 5		one of following recognized Institutions:-	= 1
	377 87				(a) Diploma level Computer	77.5
100					Examination from any University	,
217					recognized by the University Grants	A
ALC: N				-	Commission.	
125	9				(b) Diploma level Computer	W 40 15
Charles D.					Examination from any Open	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 7 11					University recognized by	100
200	17/4				University Grants Commission.	2 A 01 A.L.
in The Car	30				(c) Diploma level Computer	- On 1/16,
1.5	1. 10	100			Examination from D.O.E.A.C.C.	KEY S
Also are	a u				(d) Modern Office Management and	3.00
1					Secretarial Practice Course from	100
dipon f	500			8 1	any Government Polytechnic	The Ch
34152					College.	V(2) (2) (2)
4135			1 1		4. Must have passed Computer	- 1 F.1
5000	1000				Examination as per the circular	200
441	W 1/ 1/28			1	dated 12-06-2009 of General	1. 0.1-
912	1 1 1 1 1 1			1	Administration Department,	0.5, 141,000
(A)	12.00				Government of Madhya Pradesh	
444					within probation period of three	2.3 - 3.5
7.18	10.00		1		years failing which they shall be	0.42
3 11 - 1	1.5				reverted back to their original Class	x 25
100			1	1	IV posts. Government of Madhya	
1			1	1	Pradesh, General Administration	3
AL ST			1	1	Department Memo No. C-3-	4.0
3.02				1	10/03/3/one dated 01.04.2003 Class	
2				1	IV employees of more than 45	
NO 3 5			1	1	years of age shall be exempted from	2.40

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरौनिया, अपर सचिव.